द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–23) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842520070) जितेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री राजमनी उपाध्याय, पुलिस लाइन लखनऊ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842520070) जितेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री राजमनी उपाध्याय, पुलिस लाइन लखनऊ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842520070) जितेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री राजमनी उपाध्याय, पुलिस लाइन लखनऊ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842520070) जितेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री राजमनी उपाध्याय, पुलिस लाइन लखनऊ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–24) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842610043) विक्रम विरेन्द्र सिंह पुत्र वंश राज सिंह, पुलिस लाइन देवरिया के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842610043) विक्रम विरेन्द्र सिंह पुत्र वंश राज सिंह, पुलिस लाइन देवरिया के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842610043) विक्रम विरेन्द्र सिंह पुत्र वंश राज सिंह, पुलिस लाइन देवरिया को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842610043) विक्रम विरेन्द्र सिंह पुत्र वंश राज सिंह, पुलिस लाइन देवरिया को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, देवरिया।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–25) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842540043) जितेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री जयपाल सिंह, पुलिस लाइन, बरेली के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842540043) जितेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री जयपाल सिंह, पुलिस लाइन, बरेली के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842540043) जितेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री जयपाल सिंह, पुलिस लाइन, बरेली को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842540043) जितेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री जयपाल सिंह, पुलिस लाइन, बरेली को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–26) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842010087) राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री श्रीराम, पुलिस लाइन बाराबंकी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842010087) राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री श्रीराम, पुलिस लाइन बाराबंकी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842010087) राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री श्रीराम, पुलिस लाइन बाराबंकी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842010087) राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री श्रीराम, पुलिस लाइन बाराबंकी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–27) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752670591) अमर दास सेठ पुत्र भीमसेन, पुलिस लाइन सम्भल के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752670591) अमर दास सेठ पुत्र भीमसेन, पुलिस लाइन सम्भल के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752670591) अमर दास सेठ पुत्र भीमसेन, पुलिस लाइन सम्भल को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752670591) अमर दास सेठ पुत्र भीमसेन, पुलिस लाइन सम्भल को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, संभल।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–28) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752530116) मनोहर सिंह यादव पुत्र श्री डोरी लाल, पुलिस लाइन मैनपुरी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752530116) मनोहर सिंह यादव पुत्र श्री डोरी लाल, पुलिस लाइन मैनपुरी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752530116) मनोहर सिंह यादव पुत्र श्री डोरी लाल, पुलिस लाइन मैनपुरी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752530116) मनोहर सिंह यादव पुत्र श्री डोरी लाल, पुलिस लाइन मैनपुरी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–29) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762358265) राम निवास पुत्र श्री बलवन्त सिंह, पीटीएस मेरठ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762358265) राम निवास पुत्र श्री बलवन्त सिंह, पीटीएस मेरठ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762358265) राम निवास पुत्र श्री बलवन्त सिंह, पीटीएस मेरठ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762358265) राम निवास पुत्र श्री बलवन्त सिंह, पीटीएस मेरठ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
2–पुलिस महानिदेशक, पीटीएस, गोरखपुर ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–30) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840900153) महेश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840900153) महेश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840900153) महेश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840900153) महेश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–31)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842490045) राम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री छदामी लाल, पुलिस लाइन, एटा के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842490045) राम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री छदामी लाल, पुलिस लाइन, एटा के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842490045) राम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री छदामी लाल, पुलिस लाइन, एटा को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842490045) राम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री छदामी लाल, पुलिस लाइन, एटा को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, एटा।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–32) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842390013) शिव मोहन प्रसाद पुत्र श्री पैयस्वनी प्रसाद, पुलिस लाइन कानपुर नगर के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842390013) शिव मोहन प्रसाद पुत्र श्री पैयस्वनी प्रसाद, पुलिस लाइन कानपुर नगर के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842390013) शिव मोहन प्रसाद पुत्र श्री पैयस्वनी प्रसाद, पुलिस लाइन कानपुर नगर को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842390013) शिव मोहन प्रसाद पुत्र श्री पैयस्वनी प्रसाद, पुलिस लाइन कानपुर नगर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/–

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–33)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842090290) श्याम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री अमर शंकर मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842090290) श्याम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री अमर शंकर मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842090290) श्याम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री अमर शंकर मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842090290) श्याम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री अमर शंकर मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/-

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–34)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842020163) कृष्ण पाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याःः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842020163) कृष्ण पाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842020163) कृष्ण पाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842020163) कृष्ण पाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नहीं) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–35)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752010180) शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री चन्द्र भूषण प्रसाद शुक्ला, पुलिस लाइन कन्नौज के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752010180) शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री चन्द्र भूषण प्रसाद शुक्ला, पुलिस लाइन कन्नौज के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752010180) शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री चन्द्र भूषण प्रसाद शुक्ला, पुलिस लाइन कन्नौज को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752010180) शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री चन्द्र भूषण प्रसाद शुक्ला, पुलिस लाइन कन्नौज को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–36)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842150345) ओम नारायण दुबे पुत्र श्री प्रभु दयाल, पुलिस लाइन फैजाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842150345) ओम नारायण दुबे पुत्र श्री प्रभु दयाल, पुलिस लाइन फैजाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842150345) ओम नारायण दुबे पुत्र श्री प्रभु दयाल, पुलिस लाइन फैजाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842150345) ओम नारायण दुबे पुत्र श्री प्रभु दयाल, पुलिस लाइन फैजाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–37)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902120354) सुजाता मिश्रा पुत्र श्री बी0एच0 चटर्जी, पुलिस लाइन मुरादाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902120354) सुजाता मिश्रा पुत्र श्री बी0एच0 चटर्जी, पुलिस लाइन मुरादाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902120354) सुजाता मिश्रा पुत्र श्री बी0एच0 चटर्जी, पुलिस लाइन मुरादाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902120354) सुजाता मिश्रा पुत्र श्री बी0एच0 चटर्जी, पुलिस लाइन मुरादाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–38)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–792590938) गंगा राम पुत्र श्री मोहन लाल, पुलिस लाइन बाराबंकी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–792590938) गंगा राम पुत्र श्री मोहन लाल, पुलिस लाइन बाराबंकी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–792590938) गंगा राम पुत्र श्री मोहन लाल, पुलिस लाइन बाराबंकी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–792590938) गंगा राम पुत्र श्री मोहन लाल, पुलिस लाइन बाराबंकी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–39)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762259180) उमेश नरायन मिश्र पुत्र श्री राम बालक मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762259180) उमेश नरायन मिश्र पुत्र श्री राम बालक मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762259180) उमेश नरायन मिश्र पुत्र श्री राम बालक मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762259180) उमेश नरायन मिश्र पुत्र श्री राम बालक मिश्र, पुलिस लाइन लखनऊ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–40)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812800717) दिगम्बर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल, पुलिस लाइन सहारनपुर के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812800717) दिगम्बर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल, पुलिस लाइन सहारनपुर के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812800717) दिगम्बर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल, पुलिस लाइन सहारनपुर को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812800717) दिगम्बर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल, पुलिस लाइन सहारनपुर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–41)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902380893) सच्चिदानन्द त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर त्रिपाठी, पुलिस लाइन महराजगंज के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902380893) सच्चिदानन्द त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर त्रिपाठी, पुलिस लाइन महराजगंज के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा (पी0एन0ओ0–902380893) सच्चिदानन्द त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर त्रिपाठी, पुलिस लाइन महराजगंज को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902380893) सच्चिदानन्द त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर त्रिपाठी, पुलिस लाइन महराजगंज को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–42)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902550186) नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, पुलिस लाइन मथुरा के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902550186) नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, पुलिस लाइन मथुरा के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा (पी0एन0ओ0–902550186) नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, पुलिस लाइन मथुरा को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902550186) नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, पुलिस लाइन मथुरा को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–43)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–782480335) राम प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, पुलिस लाइन मेरठ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–782480335) राम प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, पुलिस लाइन मेरठ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा (पी0एन0ओ0–782480335) राम प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, पुलिस लाइन मेरठ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–782480335) राम प्रताप सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, पुलिस लाइन मेरठ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तंदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एव प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–44)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902300101) सुरेश यादव पुत्र श्री बन्ता यादव, पुलिस लाइन सोनभद्र के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902300101) सुरेश यादव पुत्र श्री बन्ता यादव, पुलिस लाइन सोनभद्र के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा (पी0एन0ओ0–902300101) सुरेश यादव पुत्र श्री बन्ता यादव, पुलिस लाइन सोनभद्र को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–902300101) सुरेश यादव पुत्र श्री बन्ता यादव, पुलिस लाइन सोनभद्र को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मिर्जापुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,सोनभद्र ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।